संख्या: 10/2016/359/35-1-2016-6/8(6)/2015

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ: दिनांक: 12 अप्रैल,2016*

विषय: अग्रगामी विकास प्रायोजना, इटावा के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रूपये **1,77,15,000/- (रूपये एक करोड. सतहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र)** को संलग्न सूची में अंकित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययो को वहन करने हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। य़द्यपि धनराशि पूरे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत की जा रही है परन्तु स्वीकृत की जा रही धनराशि में से प्रत्येक त्रैमास के लिए यथास्थिति एवं यथासंभव समानुपातिक आधार पर ही धनराशि आहरित की जाय।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय तथा व्यय की जिन-जिन मदों के संबंध में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका या अन्य प्राविधानों के अनुसार शासन के आदेशों की आवश्यकता हो, वहॉ व्यय करने से पूर्व प्रत्येक दशा में शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

3- गैर-वेतन मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर परचेज रूल्स एवं शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ उपरोक्त योजना पर होने वाले व्यय के नियंत्रक अधिकारी बने रहेंगे और वे उन सभी अधिकारों का प्रयोग करते रहेगें जो उनको पहले से ही प्राप्त हैं।

2/-

http://sansadarsh.nic.in

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 40 के लेखाशीर्षक- ''2515-अन्य ग्राम विकास कार्यकम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-05-अग्रगामी विकास प्रयोजना, इटावा'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

सख्या- 10/2016/359(1)/35-1-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, औरैया।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अग्रगामी विकास, अग्रगामी विकास प्रायोजना, अजीतमल, इटावा।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, औरैया।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 10/2016/ 359/35-1-2016-6/8(6)/2015
दिनांक 12 अप्रैल, 2016 का संलग्नक

(हजार रूपये में)

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	01	वेतन	7000
2	03	महगाइ भत्ता	9520
3	04	यात्रा व्यय	150
4	05	स्थानान्तरण् यात्रा व्यय	20
5	06	अन्य भत्ते	400
6	08	कार्यालय व्यय	30
7	09	विद्युत देय	20
8	11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाइ	20
	12	कार्यालय फर्नीचर एव उपकरण	20
9	13	टेलीफोन पर व्यय	15
10	15	गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40
11	16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30
12	29	अनुरक्षण	200
13	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एव अन्य प्रासंगिक व्यय	25
14	45	अवकाश यात्रा व्यय	100
15	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20
16	49	चिकित्सा व्यय	100
17	51	वर्दी व्यय	5
		योग	**17715**

(रूपये एक करोड. सतहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।